2016 का विधेयक संख्यांक 172

[दि सिटीजनशिप (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिंदी अनुवाद]

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016

नागरिकता अधिनियम, 1955
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2016 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

1955 का 57

2. नागरिकता अधिनियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदाय, अर्थात् हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा या उसके अधीन अथवा विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के उपबंधों या उसके अधीन किए गए किसी आदेश के लागू होने से छूट प्रदान की गई है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अवैध प्रवासी के रुप में नहीं माना जाएगा ।" ।

1920 का 34

1946 का 31

धारा 7घ का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 7घ के खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(घक) भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक ने इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध का या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का अतिक्रमण किया है ; या" ।

तृतीय अनुसूची का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची के खंड (घ) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'परन्तु अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय, अर्थात् हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को इस खंड के अधीन यथापेक्षित भारत में निवास या किसी सरकार की सेवा की कुल अवधि "ग्यारह वर्ष से कम नहीं" के स्थान पर "छह वर्ष से कम नहीं" के रूप में पढ़ा जाएगा ।'।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

नागरिकता अधिनियम, 1955 भारत की नागरिकता के अर्जन और अवधारण के उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदाय जैसे हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को, जो विधिमान्य यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करते हैं या जिनके दस्तावेजों की विधिमान्यता समाप्त हो गई है, अवैध प्रवासी के रूप में माना जाता है और इसलिए वे भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने हेतु अपात्र होते हैं । उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र बनाने का प्रस्ताव है ।

अधिनियम की धारा 5 के अधीन नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए भारतीय मूल के बहुत से व्यक्ति आवेदन कर रहे हैं, जिनके अन्तर्गत उपर्युक्त देशों से उपर्युक्त अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्ति भी हैं, किन्तु वे भारतीय मूल का होने के सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं । अतः वे अधिनियम की धारा 6 के अधीन देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए बाध्य हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम की तृतीय अनुसूची के निबंधनों में देशीयकरण द्वारा अर्हता के रूप में बारह वर्ष का निवास विहित करती है । यह उन्हें विभिन्न अवसरों और फायदों से वंचित करता है जो केवल भारत के नागरिकों को प्रोदभूत हो सकते हैं, यद्यपि उनके भारत में स्थायी रूप से रूकने की संभावना है । उपर्युक्त देशों से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के आवेदनों को देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए विद्यमान बारह वर्ष के स्थान पर सात वर्ष में पात्र बनाने के लिए अधिनियम की तृतीय अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव है ।

वर्तमान में, भारतीय कार्ड धारकों के विदेशी नागरिक जो किसी भारतीय विधि का उल्लंघन करते हैं के रजिस्ट्रीकरण को निरस्त करने के लिए अधिनियम के धारा 7घ में कोई विशेष उपबंध नहीं है । उपर्युक्त धारा 7घ के संशोधन का भी प्रस्ताव है जिससे कि केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उल्लंघन की दशा में भारत में विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण को निरस्त करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
15 जुलाई, 2016

राजनाथ सिंह

GMGIPMRND—1538LS(CRC)—15-7-2016.